अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4016,46,00	4016,49,00	2864,84,27	-1151,64,73
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1148,52,10
पूंजीगत	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2,54,00	3,55,00	1,98,05	-1,56,95
पूरक	Supplementary	1,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,56,93

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	11998.00	6265.28	6103.77	-161.51
पु.	R.	-5732.72			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	297848.00			
पू.	S.	2.00	179178.56	179027.45	-151.11
पु.	R.	-118671.44			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	16500.00			
			..	..	..
पु.	R.	-16500.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-Aid to State Governments				
मू.	O.	74100.00			
पू.	S.	1.00	98053.06	98053.05	-0.01
पु.	R.	-23952.06			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1200.00			
			3300.00	3300.00	--
पु.	R.	2100.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य– खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत ₹16500.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(का) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹7500.00 लाख; और

(खा) "पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" – ₹9000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹5894.23 लाख की बचत (₹11998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने और मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "खाद्य प्रसंस्करण" –

(क) "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" – ₹8269.97 लाख की बचत (₹56215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" – ₹2649.61 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

(I) Provision of ₹16500.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - "Food-Food Processing" under the following heads:-

(A) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - ₹7500.00 lakhs; and

(B) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹9000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of ₹5894.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11998.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards advertisement and publicity and economy measures.

(III) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Food Processing" -

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹8269.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56215.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(b) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - saving of ₹2649.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by UTs owing to receipt of less application and economy measures.

(ग) "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" – ₹588.20 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएलआई लाभार्थियों को कम प्रोत्साहन की वजह से कम संवितरण किए जाने के कारण हुई।

(c) "Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry" - saving of ₹588.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to less disbursement owing to less incentives to PLI beneficiaries.

(खा) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" – ₹98761.48 लाख की बचत (₹143598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और सीएजीआर की पात्रता पूरी न होने की वजह से कम प्रोत्साहन राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Industries/Companies - Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry" - saving of ₹98761.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹143598.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and issuance of less incentives owing to non-fulfilment of eligibility of CAGR.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" – ₹1605.54 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6051.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - savings of ₹1605.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6051.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" – ₹1514.22 लाख की बचत (₹3135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹1514.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3135.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पात्र प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-availability of eligible proposals.

(ङ) "आरक्षित निधियों में अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण" – ₹9900.00 लाख की बचत (₹72900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(E) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - saving of ₹9900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹72900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं– जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" के अंतर्गत ₹1344.75 लाख की बचत (₹3720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - saving of ₹1344.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3720.00 lakhs) was due to receipt of less applications.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹29739.24 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण – राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु" – ₹4232.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएँ – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण" – ₹25507.24 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹25507.23 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" के अंतर्गत अधिक व्यय से भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹2064.00 लाख का अधिक व्यय (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदित व्यवहार्य प्रस्तावों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹156.95 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹101.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

2.(I) The above savings were partly (₹29739.24 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Food - Food Processing - National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu" - ₹4232.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹25507.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹25507.23 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - excess of ₹2064.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards approved viable proposals.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹156.95 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹101.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 44 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	200.00			
पू.	S.	101.00	191.23	191.21	-0.02
पु.	R.	-109.77			

(I) ₹4.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

(II) "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹101.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹301.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹109.79 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration - Secretariat - Economic Services" - the original provision of ₹200.00 lakhs was augmented to ₹301.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹101.00 lakhs. However, there was a saving of ₹109.79 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.